डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

भूपेनद्रसिंह बनाम अरिदमनसिंह वगै0

मुकदमा नंबर 15/2020 दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददव व .... मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 279 रकबा 0.14, 280 रकबा 0.14 किता 2 कुल रकबा 0.28 वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर वादी को संपूर्ण हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किए जाते हैं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12.03..2025 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत——————
12/3/25
सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- प्रार्थनापत्र 151 व 152 सीपीसी के तहत स्वीकार होने पर वि.आ.ख.न. 279/0.14, 280/0.14 का वादी द्वारा हिस्सा 12/35 [illegible] के हक में [illegible] जाने के पश्चात्, वादी का [illegible] 92/140 शेष रहने पर वादी को 92/140 हिस्से का खातेदार [illegible] घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायाल

प्रकरण सं. 15
जी.सी.एम.एस.
किस्म दावा
निर्णय दिनां

1. भूपेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र करतारसिंह जाति सिख निवासी पहरसर त… नदबई भरतपुर।

—वादी

बनाम

1. अरिदमनसिंह पुत्र विरयामसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. निर्मलकौर पुत्री विरयामसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. बिन्दूकौर पुत्री विरयामसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. कमलनेन पुत्र दीवानसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. रूपसिंह पुत्र दीवानसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. परमजीत पुत्र दीवानसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. कुलवीर कौर पुत्री दीवानसिंह पत्नि जररैलसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल आबाद मीरपुर तहसील बटाला जिला गुरूदासपुर पंजाब।
8. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

—तर प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 15/2020
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00020
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 12.03.2025

1. भूपेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र करतारसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई भरतपुर।

—वादी

बनाम

1. अरिदमनसिंह पुत्र विरयामसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. निर्मलकौर पुत्री विरयामसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. बिन्दूकौर पुत्री विरयामसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. कमलनेन पुत्र दीवानसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. रूपसिंह पुत्र दीवानसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. परमजीत पुत्र दीवानसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. कुलवीर कौर पुत्री दीवानसिंह पत्नि जरनैलसिंह जाति सिख निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल आबाद मीरपुर तहसील बटाला जिला गुरूदासपुर पंजाब।
8. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

—तर प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री फूलसिंह सिनसिनवार एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुकदमा लडने के योग्य न हो।
2. यह कि विवादित आराजी वाके मौजा पहरसर में स्थित है। जिसका वर्तमान व गत खसरा नम्बारान निम्न प्रकार है [illegible]

हाल ख.न. संवत 2060	गत ख.न. संवत 20[illegible]	[illegible] संवत 1910
279 रकबा 0.14	214 रकबा 1 बी.2बि.	[illegible] रकबा 1बी. 5वि.
280 रकबा 0.14		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

जिसके गत इन्द्राजात खातेदारी संवत 2028 से पूर्व गत खसरा नम्बर 181 के सम्पूर्ण खातेदारी के इन्द्राजात वादी के दत्तक पिता करतारसिंह के नाम आये थें लेकिन भूप्रबंध विभाग संवत 2028 के दौरान पूर्व इन्द्राजात के विपरीत नए खसरा नंबर 214 निर्मित कर बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के बिना प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से पिता वरियामसिंह हिस्सा 17/35 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 पिता दीवान सिंह हिस्सा 6/35 तथा वादी के दत्तक पिता हिस्सा 12/35 गलत रूप से दर्ज कर दिए गए। जबकि भूप्रबंध विभाग को पूर्व इन्द्राजात के विपरीत खातेदारी इन्द्राजात को बदलने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। लिहाजा वादी वर्तमान संपूर्ण आराजी वाके पहरसर पर अपनी पैतृक आराजी होने के कारण अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा वर्तमान सभी इन्द्राजात काबिल कलमजन के है।

3. यह है कि उपरोक्त आराजी वाके पहरसर पर वादी संपूर्ण हिस्से पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु प्रतिवादीगण के गलत इन्द्राजात होने के कारण प्रतिवादीगण वादी को धमकी दे रहे हैं कि आराजी से बेदखल कर देंगे। अंत में वादी ने प्रार्थना की कि विवादित आराजी वाके पहरसर पर वादी को संपूर्ण हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किए जावें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3, 5,7,8 की तलवी जरिए रजि0 एडी न होने पर पुनः तलवी जरिए अखबार साया से कराई गई इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 6 की ओर से श्री दिलीप डागुर एडवोकेट उपस्थित हुए। इनकी ओर से जबाव दावा पेश नहीं किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई ।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम पहरसर प्रदर्श 1, नकल भू प्रबंधक विभाग संवत 2060 प्रदर्श 2 , नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके पहरसर प्रदर्श 3, नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 वाके पहरसर प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी संवत 2014 वाके ग्राम पहरसर प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी संवत 2014 वाके पहरसर प्रदर्श 6, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2021 प्रदर्श 7 पेश किए गए तथा मौखिक बयान के रूप में भूपेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र करतार सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी पहरसर पेश किए गए।

प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किए गए।

हमने उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी.ए. के तहत पेश किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके पहरसर प्रदर्श 1 पर विवादित आराजी खसरा नं. 279 रकबा 0.14, 280 रकबा 0.14 पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 दमन सिंह, निर्मल कौर, बिन्दु कौर पुत्र/पुत्री विरयामसिंह के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

आराजी खसरा नबर 279, 280 हाल खसरा नंबरान के गत खसरा नंबर संवत 2028 में खसरा नंबर 214 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा तथा इनके गत खसरा नंबर संवत 1910 में खसरा नंबर 181 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा था जो कि मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व 2021 प्रदर्श 3 व 7 से साबित है। इनके गत इन्द्राजात खातेदारी संवत 2028 से पूर्व गत खसरा नंबर 181 के संपूर्ण खातेदारी के इन्द्राजात वादी के दत्तक पिता करतार सिंह के नाम थे जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2014 से साबित है। नकल जमाबंदी (खेवट खतौनी) वाके पहरसर प्रदर्श 6 में संवत 2013 के कॉलम नंबर 5 में खसरा नंबर 181 में करतार सिंह वल्द खेड़ासिंह के नाम अंकन है परन्तु भूप्रबंध विभाग संवत 2028 के दौरान पूर्व इन्द्राजात के विपरीत नए खसरा नंबर 214 निर्मित किया गया है जिसमें बिना आदेश के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता बिरयामसिंह हिस्सा 17/35 व प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के पिता दीवान सिंह हिस्सा 6/35 तथा वादी के दत्तक पिता करतार सिंह हिस्सा 12/35 के रूप में गलत अंकन किया है जो जमाबंदी भूप्रबंध विभाग संवत 2028 वाके पहरसर प्रदर्श 4 से साबित है। इस प्रकार उक्त गलत इन्द्राजात भूप्रबंध विभाग द्वारा विपरीत खातेदारी के इन्द्राज करने का अधिकार हासिल नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है कि आराजी वादी के दत्तक पिता करतार सिंह के नाम संवत 2028 से पूर्व खातेदारी में रही है तथा वादी द्वारा स्वयं के बयानों से भी वादी के वादपत्र का समर्थन होता है। इसके विरोध में प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया लिहाजा वादी का वादपत्र काबिल स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 279 रकबा 0.14, 280 रकबा 0.14 किता 2 कुल रकबा 0.28 वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर वादी को संपूर्ण हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किए जाते हैं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

12/3/25
गंगाधर मीणा (R.A.S.)
सहायक कलक्टर, नदबई

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

नोट:- प्रार्थना पत्र 151 व 152 सी.पी.सी. के तहत स्वीकार होने पर वि.आ.ख.न. 279/0.14, 280/0.14 का वादी द्वारा हिस्सा 12/35 - के लिए रजिस्ट्री के रूप में लिये जाने के पश्चात्। वादी का हिस्सा 47/140 होने से पर वादी को 47/14[illegible] घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested

1272

Scanned with OKEN Scanner